भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 1590
गुरुवार, 13 फरवरी, 2025/ 24 माघ, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विमान ऑब्जेक्ट विधेयक, 2024

1590. डॉ. मल्लू रविः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश के विमानन क्षेत्र में पट्टा दिए जाने संबंधी कार्यप्रणाली विस्तार करने के लिए विमान ऑब्जेक्ट हितों का संरक्षण और प्रवर्तन विधेयक, 2024 पुरःस्थापित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त विधेयक के मुख्य उद्देश्य क्या हैं और विमान के पट्टे की लागत तथा यात्रियों के लिए किफायती हवाई यात्रा पर इसका क्या संभावित प्रभाव होगा?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) सरकार ने संसद में विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण विधेयक, 2025 प्रस्तुत किया है।

(ख) इस विधेयक का उद्देश्य विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण करना तथा दिनांक 16 नवंबर 2001 को केपटाउन में हस्ताक्षर किए गए मोबाइल उपकरणों में अंतर्राष्ट्रीय हितों पर कन्वेंशन और विमान उपकरणों से विशिष्ट रूप से संबंधित मामलों पर मोबाइल उपकरणों में अंतर्राष्ट्रीय हितों पर कन्वेंशन के प्रोटोकॉल को लागू करना तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक मामलों के लिए प्रावधान करना है। यह विधेयक विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण करने के लिए भारत द्वारा अपनाए गए दिवालियापन उपायों को सांविधिक रूप से मान्यता देकर केप टाउन संधि को कार्यान्वयन करता है। प्रस्तावित विधान में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. अपरिवर्तनीय विपंजीकरण और निर्यात अनुरोध प्राधिकार के लिए प्रावधान;

ii. देनदारों और लेनदारों का रजिस्ट्री प्राधिकरण (नागर विमानन महानिदेशालय) के प्रति बकाया राशि जमा करने और चूक के मामलों में समाधान करने का दायित्व;

iii. असंगत घरेलू कानूनों पर प्रस्तावित विधेयक के प्रभाव को सुदृढ़ करना तथा किसी विमान को गिरफ्तार करने/रोकने के लिए घरेलू कानून के तहत केंद्रीय सरकार और अन्य संस्थाओं की शक्ति का संरक्षण करना;

iv. कन्वेंशन के तहत भारत द्वारा स्वीकार किए गए उच्च न्यायालय को अधिकारिता प्रदान करना;

v. केप टाउन संधि के तहत नियम बनाने, कठिनाइयों को दूर करने और घोषणा करने, संशोधित करने या जमा की गई घोषणाओं को वापस लेने के लिए केंद्रीय सरकार को शक्ति प्रदान करने जैसे प्रावधान।

प्रस्तावित विधेयक के अपेक्षित प्रभाव में शामिल हैं:

i. प्राथमिक कानून के साथ कानूनी निश्चितता जो जोखिम प्रीमियम को कम कर सकती है, पट्टेदारों/ वित्तपोषकों द्वारा विमान के वित्तपोषण/ पट्टे पर देने के लिए ब्याज दरों और पट्टा किराए को कम कर सकती है, जिससे पट्टे की लागत कम हो सकती है जिसका लाभ अंतिम उपयोगकर्ताओं अर्थात यात्री/ शिपर को मिलने की संभावना है।

ii. बेहतर अनुबंध प्रवर्तनीयता और पुनः कब्ज़ा निश्चितता से भारत में व्यापार करना सुगम हो जाएगा और जीआईएफ़टी सिटी जैसे घरेलू पट्टा केंद्रों के विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

*****